

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

शुद्धि पत्र

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-5469 दिनांक 03.04.2013 की अंग्रेजी पाठ की कंडिका-2(a) में उल्लेखित "Those officers whose A.C.Rs. of **last year** are not found satisfactory for the purpose of promotion shall not be included in the list of eligible officers." के स्थान पर "Those officers whose A.C.Rs. of **last five years** are not found satisfactory for the purpose of promotion shall not be included in the list of eligible officers." पढ़ा जाय।

2. जबकि अधिसूचना संख्या-5469 दिनांक 03.04.2013 की हिन्दी पाठ की कंडिका-2(a) में निम्नरूपेण है:-

"वैसे पदाधिकारियों, जिनका विगत पाँच वर्षों का चारित्री प्रोफ़ेशनलिटी के प्रयोजनार्थ संतोषजनक नहीं पाया जाता हो, योग्य पदाधिकारियों की सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।"

ह0/- .

(रामेश्वर प्रसाद दास)

ज्ञापांक-7 / स्था01-3-01 / 2010 सा0प्र0.....**17363** / पटना-15, दिनांक...**17-12-14**

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को (दो प्रतियों में) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7 / स्था01-3-01 / 2010 सा0प्र0.....**17.363** / पटना-15, दिनांक...**17-12-14**

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, विधि विभाग / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / बिहार लोक सेवा आयोग / सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / प्रशास्त्र पदाधिकारी-3, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/12/14
सरकार के उप सचिव।

12
ନିର୍ମାଣ କମନ୍ସଲ୍